(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में, महिलाओं पर हुए अत्याचारों के कुल कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं और उनका वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऊपर उल्लिखित वर्षों के दौरान ऐसे कुल कितने मामले न्यायालयों में दर्ज किए गए हैं;

(ग) इनमें कितने व्यक्ति दोषी पाए गए तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अत्याचारों को रोकने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Setting-up of Staff Women Commission in Delhi

3388. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether any State Women Commission would be set up in Delhi ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) what would be the term of office of the proposed Commission together with the number of its members and the criteria to be followed for their selection ;

(d) what is the amount likely to be allocated as token funds for the Commission and what will be the respective share of State and Central Government therein ; and

(e) the details of the schemes likely to be undertaken by the State Women Commission and the provisions made to solve their problems ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SMT. BASAVA RAJESWARI) : (a) Yes, Sir.

(b) to (c) Details are being worked out by the Government of the National Capital Territory of Delhi.

(d) No Central Government grant is provided for Setting up of State Women's Commissions. The National Capital Territory of Delhi has made a provision of Rs. 1 lakh for the year 1993-94 and Rs. 10 lakhs for the year 1994-95.

Guidelines for Admission in Professional College

3389. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the Supreme Court had laid down guidelines for admission into privately owned professional colleges ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether there is any similar proposal to lay down guidelines for Government owned professional colleges ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) to (e) The Supreme Court in its judgement dated 4-2-1993 in Unnikrishnan's case prescribed a Scheme for regulating admission into private, unaided professional colleges. According to the earmarking, 50% seats as free seats and remaining 50% as payment

seats both are to be filled on the basis of merit. The fee to be charged by professional colleges in each State will be as decided by a State Committee.

The Supreme Court has covered only the private, unaided professional colleges with a view to ensure abolition of capitation fee and admissions to be made on the basis of merit alone.

बिहार में ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा

3390. **श्री एस० एस० अहलुवालिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश अभिभावक अपनी बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखते हैं तथा विद्यालयों में उनका दाखिला नहीं करवाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में इन बालिकाओं को विद्यालयों में भेजने हेतु उनके अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए कौन-कौन से उपाय करने का विचार रखती है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बिहार शिक्षा परियोजना वर्ष 1991-92 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना करना है। यूनीसेफ द्वारा सहायता प्राप्त इस परियोजना में बिहार राज्य की सम्पूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने की परिकल्पना की गई है। महिलाओं की शिक्षा तथा विकास पर विशेष बल दिया गया है ताकि वे शिक्षा में समानता की दिशा में आगे बढ़ सकें। कुल 360 करोड़ रु० के परिव्यय की परियोजना में 20 जिलों में फैले 150 ब्लॉकों को चरणबद्ध क्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् नामक एक राज्य स्तरीय स्वायत्त पंजीकृत सोसाइटी इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए गठित की गई है। इसके अलावा बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों के परामर्श से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्य योजना, 1992 तैयार की गई है जिसमें 2000 ईसवी सन् तक 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपाय करने तथा कार्य नीतियां तैयार करने की परिकल्पना की गई है।

बिहार में बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाना

3391. **श्री एस० एस० अहलुवालिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में 5 से 10 वर्ष की आयु वाले उन बालकों तथा बालिकाओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है, जिन्हें स्कूली शिक्षा से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसा सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है; और

(घ) सरकार ऐसे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?